न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

बंटवारा वाद सं0– 592 सन् 2013

अमरेश कुमार................वादी

बनाम

केशरदेव राय...............प्रतिवादी

दिनांक– 08.07.2021

प्रतिवादी की ओर से हाजरी दी गई है। वादी अनुपस्थित है। आज अभिलेख आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत है।

आदेश

प्रतिवादी ने दिनांक 22.02.2021 को सम्यावेदन दाखिल कर प्रतिवादी की अचानक तबियत खराब हो जाने के कारण साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु समय की मांग की गई है। वादी के द्वारा उपर्युक्त सम्यावेदन पर आपत्ति पत्र दिनांक 22.02.2021 को दाखिल कर उनका कथन है कि प्रतिवादी सं0 1 की तबियत खराब होने से वे स्वयं न्यायालय में आकर झूठा आवेदन लिखवाये हैं। निवेदन है कि प्रतिवादी सं0 1 का सम्यावेदन खारिज करते हुए उनका पूर्व का साक्ष्य विलोपित कर दिया जाए। प्रतिवादी की ओर से दिनांक 14.06.2021 को पुनः प्रति उत्तर दाखिल कर कथन है कि प्रतिवादी की एकाएक तबियत खराब हो गई तथा वे साक्ष्य देने में असमर्थ थे। इसी वजह से उनके द्वारा साक्ष्य हेतु समय की मांग की गई है। वादी ने जानबूझकर परेशान करने की नियत से आपत्ति पत्र दाखिल किया है। निवेदन है कि वादी के आपत्ति पत्र को खारिज किया जाए।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित है कि अभिलेख प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य के प्रस्तुतिकरण हेतु नियत चला आ रहा है। प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी साक्षी सं0 5 के रूप में स्वयं प्रतिवादी सं0 1 केशरदेव राय दिनांक 18.12.2019 को साक्ष्य प्रस्तुतिकरण हेतु न्यायालय में उपस्थित हुए और

उनका आंशिक साक्ष्य न्यायालय द्वारा अंकित किया गया और अभिलेख शेष साक्ष्य प्रस्तुतिकरण हेतु दिनांक 03.02.2020 को नियत किया गया है। परंतु न्यायालय के बार–बार निर्देश दिये जाने के बावजूद उनके द्वारा लगातार सात तिथियों तक अपने आंशिक प्रति परीक्षण को पूर्ण करने हेतु सम्यावेदन दाखिल किया है। ऐसी परिस्थिति में प्रतिवादी सं0 1 की ओर से बार–बार सम्यावेदन दाखिल किया जाना प्रस्तुत वाद में अभिरूचि नहीं लेना प्रतीत होता है। ऐसी परिस्थिति में प्रतिवादी सं0 1 को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए निर्देश दिया जाता है कि वह अपने प्रति परीक्षण पूर्ण करने हेतु अगली नियत तिथि 30.09.2021 को न्यायालय में उपस्थित हों अन्यथा उनके विरूद्ध उचित आदेश पारित कर दिया जाएगा।

सब जज

सोनपुर सारण।